न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3066/एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20.07.2015 – पारित व्दारा कलेक्टर जिला जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 433 अ–21/2013–14

घुरईलाल परस्ते पुत्र मूलचंद
ग्राम हिनोतिया भोई
तहसील व जिला जबलपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2– श्रीमती ज्योति जैन पत्नि स्वदेश जैन
निवासी 1291/1 पं.भवनीप्रसाद तिवारी बार्ड
मानस चौक राईट टाउन जबलपुर ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदकगण की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 9 – 2015 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 433 अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.7.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर

जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसके स्वामित्व की ग्राम जुनवानी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61/1 रकबा 0.81 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) को वह विक्रय करना चाहता है एंव उसके व्दारा रिस्पा0 क्रमांक 2 से विक्रय अनुबंध कर लिया है। इस भूमि को विक्रय करने वाद प्राप्त पैसे से वह अन्य धारित भूमि को उपजाउ बनाने के लिये खर्च करेगा, जिसके कारण विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 433 अ-21/2013-14 पंजीबद्व किया तथा आवेदक के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एंव अपर तहसीलदार खम्हरिया से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 20.7.2015 पारित किया एंव आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से पीढ़ित के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से देखना है कि क्या आवेदक वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

अपर तहसीलदार खम्हरिया ने अपीलांट के विक्रय अनुमति आवेदन के तथ्यों की जांच पटवारी से कराई है पटवारी व्दारा प्रस्तुत रिपोर्ट के पद 6 में बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि के विक्रय के वाद आवेदक के पास 2.03 भूमि रहेगी। पद 7 में दी गई जानकारी अनुसार अन्य ग्राम

हिनोतिया में भी 4.25 है. भूमि है। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगाएंव उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

प्रतिवेदन के पद 8 में बताया गया है कि आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है अर्थात आवेदित भूमि पटटे की भूमि नहीं है। वेसे भी शासन से पटटे पर प्राप्त भूमि पर पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष व्ययतीत होने पर पटटाग्रहीता भी भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलखित है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पटटे पर प्राप्त नहीं है। आवेदक अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पटटेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शासकीय गाईड लायन के मान से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 2 के साथ किया है, जो शासन व्दारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय मूल्य देने तैयार है परिणामतः आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है, किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्र.क्र. 433 अ-21/13-14 में

पारित आदेश दिनांक 18.5.2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को ग्राम जुनवानी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61/1 रकबा 0.81 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्तांकित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय शासकीय गाईड लायन के मान से आवेदक विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ? उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर